	(2) उप धारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ग्राम परिषद गाँव क्षेत्र के भीतर कोई अन्य कार्य अथवा उपाय जिसके तहत् ग्रामवासियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, सुविधा या सामाजिक और/अथवा आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रावधान कर सकता है ।	
	28. (1) ग्राम परिषद सभी सड़कों, गलियों, पुल, पुलिया और इसके निर्देश के अंतर्गत अन्य सम्पत्तियाँ, जिसका प्रबन्धन और नियंत्रण धारा 35 की उप धारा (1) के अन्तर्गत प्रशासक द्वारा किया जाता है, के रख–रखाव और इसके मरम्मत के लिए सभी आवश्यक कार्य करें और विशेषकर (क) ऐसे किसी सड़क को चौड़ा करना, खोलना, बड़ा करना अथवा अन्यथा ऐसे किसी सड़क, पुल अथवा पुलिया की मरम्मत करना तथा ऐसे सड़कों के दोनों ओर वृक्ष लगाना तथा वृक्षों का संरक्षण करना । (ख) धारा 35 की उप धारा (1) के खण्ड ग में बताए गए जल स्रोत को गहरा करना अथवा अन्य सम्पत्ति का सुधार करना ; और (ग) सार्वजनिक सड़क अथवा गली के किसी झाड़ी अथवा पेड़ शाखा को काटना । (2) ग्राम परिषद के क्षेत्राधिकार के भीतर स्थित सभी सड़कों, गलियों, जलमार्ग (नहर) पुल और पुलिया पर ग्राम परिषद का नियंत्रण होगा जो निजी सम्पत्ति नहीं है अथवा कुछ समय के लिए सम्पत्ति सरकार के नियंत्रणाधीन है और इनके सुधार, रख–रखाव और मरम्मत के लिए सरकार आवश्यक कार्य करेगी विशेषकर (क) नक्शा तैयार करना और नई सड़क बनाना (ख) और नए पुल और पुलिया का निर्माण	विशेष सम्पत्तियों पर ग्राम परिषद का नियंत्रण
	29. प्रशासक ग्राम परिषद को किसी कार्य के निष्पादन, रख–रखाव अथवा मरम्मत अथवा सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण की ओर से किसी संस्थान के प्रबन्धन का कार्य सौंप सकता है । बशर्ते कि ऐसे प्रयोजन के लिए ग्राम परिषद को निधि सरकार अथवा ऐसे स्थानीय प्राधिकरण द्वारा दिया जाएगा ।	ग्राम परिषद को कार्य अथवा संस्थान का हस्थानान्तरण
	30. (1) ऐसे शर्तों के अधीन जैसा निर्धारित किया गया है, प्रशासक ग्राम परिषद की सहमति से सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करके भू राजस्व और भू राजस्व का बकाया एकत्रित करने का कार्य ग्राम परिषद को सौंपेंगे ।	भू राजस्व का संग्रह